न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 23/24 वर्ष 2024

GCMS NO :–2024/132

बउनवानीः–सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. श्री तुलसीराम पुत्र श्री लल्लूराम शर्मा, निवासी रणथम्भोर रोड़ सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्रीमति पूजा मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद

श्री अभय कुमार गुप्ता वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 21.01..2025

प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 8.10.2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 25.9.2024 को खाद्य विभाग राज0 जयपुर के आदेशो की पालना में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलु एल.पी. जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी अपनी फर्म मैसर्स वेदा राजस्थानी ढाणी, रणथम्भोर रोड़ सवाईमाधोपुर पर घरेलू गैस सलेण्डर अवैध का उपयोग ग्राहको के लिए खाना बनाये जाने मे पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये 6 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी ।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 8.10.2024 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्रीमति पूजा मीना प्रर्वतन निरीक्षक, बहमराह श्री कीर्तेश मीना, सुश्री ज्योति शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक, द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 25.9.2024 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स वेदा राजस्थानी ढाणी रणथम्भोर रोड सवाईमाधोपुर पर पहुॅचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच फर्म के मालिक श्री तुलसीराम पुत्र श्री लल्लूराम शर्मा उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 6 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डार एवं ग्राहको के लिए खाना बनाये जाने के व्यावसायिक कार्य मे उपयोग लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गेस सलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया गया है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू 6 गैस सलेण्डर को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया जाकर निम्नानुसार जब्त किये गये सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स रेणु एन्टरप्राईजेज, सवाईमाधोपुर के प्रतिनिधि श्री अजयसिंह मीना पुत्र श्री रामसिंह मीना जवाहर नगर बजरिया सवाईमाधोपुर को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदर्गी मे दिये गये है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेन्डर जब्त किये गये है।

क.स.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का वेजन कि.ग्रा.	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार	शुद्व गैस
1	आईओसीएल	830520	15.6	15.6	0.00
2	एच.पी.सी.एल	922546	15.7	30.00	14.30
3	भारत गैस	057496	15.6	15.60	0.00
4	एच.पी.सी.एल	685042	16.00	[illegible]	2.500
5	आईओसीएल	149145	19.4	[illegible]	0.00
6	आईओसीएल	-----645	19.2	[illegible]	0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:31:44 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 23/2024 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम तुलसीराम शर्मा)

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अ की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 6 गैस सिलेन्ड़र को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि जॉच दल द्वारा प्रार्थी के विरूद्व निराधार तथ्यो के आधार पर 6 ऐ का प्रकरण बनाया है क्योकि प्रकरण मे किसी भी गैस सलेण्डर को रेग्यूलेटर से जोकर उपयोग में लिये जाने का तथ्य ना तो मौका रिपोर्ट मे बताया गया है ओर ना ही फर्द जब्ती मे रेगूलेटर जब्त करना बताया गया है तथा बिना एस.आर. नम्बरो के तस्दीक कराये ही अन्य कम्पनी (भारत गैस, एचपीसीएल) के गैस सेलेण्डर रेणु एन्टरप्राईजेज की सुपुदर्गी मे दिया गया है जबकि यह भी जॉच नही की गयी यह गैस सलेण्डर किस उपभोक्ता को दिये गये है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी की फर्म वेदा राजस्थानी ढाणी रणथम्भोर के नाम व्यवसायिक गैस कनेक्शन मै. रेणु गैस एन्टर प्राईजेज उपभोक्ता क्रमांक 7227662787 है कथन के समर्थन में उपभोक्ता डायरी की छायाप्रति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वैद्य उपभोक्ता होने के बावजूद भी उसके व्यवसायिक गैस सलेण्डर जब्त कर लिया है तथा एचपीसीएल के दोनो गैस सलेण्डर्स प्रार्थी के पिता लल्लू लाल उपभोक्तां क्रमांक 605033 पर जारी है जिनको भरवाने के लिए एक दिन पहले ही फर्म पर लाकर रखे थे शेष दो गैस सलेण्डर जो भारत गैस कम्पनी के है फर्म पर कार्यरत वेटर रिंकू माली की पत्नि सुनीता का उपभौक्ता क्रमांक 12002215 अरावली भारत गैस ग्रामीण मिशन का था जो भरवाने के लिए रखा गया था। इस प्रकार प्रार्थी के विरूद्व की गयी 6ऐ की कार्यवाही विधिविरूद्व होने से निरस्त की जावे एवं प्रार्थी की फर्म से जब्त किये गये 6 गैस सिलेण्डर को वापस लोटाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.9.2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 6 गैस सलेण्डर अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर रखने का कोई उचित कारण नही बताया गया है केवल मात्र उपभौक्ता डायरी की प्रति प्रस्तुत करने से यह साबित नही होता है कि सलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग नही हो रहा था कुछ सलेण्डर भरे थे तथा कुछ सलेण्डर खाली थे जो प्रतिष्ठान पर उपयोग के पश्चात खाली होने की सम्भवना से इन्कार नही किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सलेण्डर रखे जाने के संबंध में कोई ठोस विधिक कारण बताने मे असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक स0मा0 द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 6 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 6 गैस सलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karna Ram
Date: 2025.10.21 15:31:44 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner